

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 250/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलायन्स एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि.

रजिस्टर पता-सिलायन्स सेन्टर 6ठी, मंजिल, नोर्थ विंग वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, शान्ताकुज (वेस्ट) मुम्बई एवं ए-13,/1, 6ठी फ्लोर, सनेर्जी टावर सैक्टर-62, नोएडा श्री विपिन कुमार मीना, एसाइन्मेन्ट मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि.

प्रार्थी

बनाम

1. प्रदीप कुमार
2. ज्योति सेवानी
3. 1.पता- प्लाट नं. 6-बी, बाल नगर गोनेर रोड, जयपुर राजस्थान,  
2. 148, सिन्धी कालोनी, देवीका मन्दिर, जवाहर नगर एवं  
3. पलक ब्यूटी पार्लर 6-बी, बाल नगर, गोनेर रोड, जयपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक

04.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि. ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.04.2015 को 5,00,000/-रुपये, दिनांक 30.05.2015 को 3,00,000/-रुपये एवं 30.11.2015 को 1,45,000/-रुपये के पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ज्योति सेवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं. 6-बी, (नोर्थ-ईस्ट पार्ट प्लाट नं. 6) बाल नगर गोनेर रोड, जयपुर राजस्थान क्षेत्रफल 49.33 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल 9,45,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 29.03.2019 को एसाइन्मेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. को हो गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

मजिस्ट्रेट  
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
  3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  4. प्रार्थी वित्तीय संस्था मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि. को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी, 2011 को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
  5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 9,45,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 9,44,814/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.12.2018 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
  6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती ज्योति सेवानी पत्नी श्री प्रदीप कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 6-बी, (नोर्थ-ईस्ट पार्ट प्लॉट नं. 6) बाल नगर गोनेर रोड, जयपुर राजस्थान क्षेत्रफल 49.33 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (अन्तर सिंह मेहरा)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
**(कलक्टर) जयपुर**